हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2019 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि उक्त वाद संख्या दिनांक 11.12.2012 को दर्ज रजिस्टर हुआ प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी हुए। प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 17, की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज गोदारा द्वारा दिनांक 31.05.2013 को वकालतनामा पेश किया गया परन्तु जबाव अभी तक पेश नहीं किया गया।	
प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज अरोड़ा द्वारा दिनांक 29.04.2013 को वकालतनामा प्रस्तुत कर दिनांक 01.05.2013 को जबाबदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया।	
प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 12, 18, 25 ता 28 की तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 12, 18, 25 ता 28 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।	
प्रतिवादी संख्या 24 के फौत होनें की सूचना प्राप्त होनें पर प्रतिवादी संख्या 24 के वारिसान को रिकार्ड पर लेनें बाबत वादी के अधिवक्ता को दिनांक 30.05.2014 को आदेशित किया गया परन्तुत वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 24 के वारिसान को आदिनांक तक रिकार्ड पर नहीं लिया गया।	
दिनांक 13.10.2014 की आदेशिका के अनुसार वादी के अधिवक्ता को आदेशित किया गया कि शेष प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11, 19 ता 23 की तलबी हेतु सम्मन तलवाना प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी संख्या 24 के वारिसान को रिकार्ड पर लेनें की कार्यवाही करे जिसकी पालना वादी के अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक नहीं की गई है।	
दिनांक 13.10.2014 की आदेशित की पालना नहीं किये जानें के उपरान्त भी आदेशिका दिनांक 14.12.2015 को पत्रावली सीधे ही वास्ते साक्ष्य निर्धारित कर दी गई।	
वादी की अधिवक्ता को साक्ष्य हेतु समय दिया जाकर समय समय पर कोस्ट की अदायगी पर समय दिया गया परन्तु वादी के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें पर दिनांक 22.10.2018 को साक्ष्य वादी बन्द किये जा का पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी निर्धारित की गई।	
वर्तमान आदेशिका के अनुसार पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी निर्धारित है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 17 का जबाब भी आदिनांक तक बन्द नहीं किया गया है और ना ही प्रतिवादी संख्या 24 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 12, 18, 25 ता 28 की तलबी करवाई गई है।	
प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 12, 18, 25 ता 28 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जानें के उपरान्त प्रकरण में वादी द्वारा आदिनांक तक शेष प्रतिवादीगण की तलबी नहीं करवाई जानी एवम् मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 17, की ओर से अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2013 से आदिनांक तक जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 16 के अधिवक्ता उपस्थित आये है।	
पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है, कि पक्षकारान उक्त वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम में आगामी कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है।	
अतः वाद वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है, यदि पक्षकारान वाद में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में कोई अनुतोष चाहते है तो पुनः वर्तमान स्थिति अनुसार नवीन वाद प्रस्तुत करनें हेतु स्वतन्त्र है।	
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
(कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.07 17:10:23 IST
Reason: SelfAttested